ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 74-76**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

मनरेगा में मजदूरों की स्थिति

1. डॉ0 ज्योति गुप्ता
2. सोनी गुप्ता

1. विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, मदनमोहन मालवीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, कालाकांकर, 2. शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, मदनमोहन मालवीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, कालाकांकर, प्रतापगढ (उ0प्र0) भारत

Received-09.01.2025, Revised-16.01.2025, Accepted-22.01.2025 E-mail:gaoni0442@gmail.com

सारांशः महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 को ग्रामीण बेरोजगारी मजदूरों के हित में लागू किया गया हैं। इसका पुराना नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना था। जिसको 2 अक्टूबर 2009 को बदल कर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया है।

मनरेगा को पूरे भारत में 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसे पहले चरण में (सबसे पिछड़े) 200 जिले में लागू किया गया था। मनरेगा को पूरे भारत में केंन्द्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर), जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों में निवास कर रहे बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी स्थिति को सुधारना और पलायनता को रोकना हैं।

कुंजीभूत शब्द– मनरेगा, ग्रामीण बेरोजगारी, मजदूरों के हित, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी, पलायनता

मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरो को 1 साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, और अगर 15 दिन के भीतर में रोजगार नहीं मिलता है, तो आवेदनकर्त्ता द्वारा बेराजगारी भत्ते की मांग की जा सकती है। मनरेगा में मजदूरों को 5 किलोमीटर के अन्दर ही रोजगार दिया जाता है और उससे ज्यादा दूरी होने पर उसे मजदूरी से अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। मनरेगा का शुभारम्भ आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली ग्राम पंचायत से 2 फरवरी 2006 को मनमोहन सिंह और सोनिया गाँधी ने किया था। इस पेपर में शोधार्थीनी मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों की स्थिति का गहराई से अध्ययन करेगी।

मनरेगा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–मनरेगा को ग्रामीणों की स्थिति को देखते हुए लाया गया है। इसे पूरे भारत में (जम्मू–कश्मीर छोड़ के) लागू किया गया है। इसे 5 सितम्बर 2005 को पारित किया गया और 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया।

सबसे पहले आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गाँव से शुरू किया गया। अनंतपुर जिले में गरीबी और बेरोजगारी से वहाँ के व्यक्ति जूझ रहे थे और वहाँ की जलवायु भी व्यक्ति को प्रभावित कर रही थी। वहाँ पर सूखे की वजह से खेती करने में ग्रामीणों को असुविधा हो रही थी और रोजगार का सृजन करने में व्यक्ति असमर्थ था।

अनंतपुर जिला भारत सरकार के सबसे पिछड़े जिलो में से एक था। वहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी की दर बहुत ही अधिक थी, वहाँ पर मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को पैदा करना है और वहाँ के व्यक्ति की आय को बढाना था।

अनंतपुर की मुख्य समस्या सूखा और कुपोषण था, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन में गिरावट हो गयी और वहाँ के लोगो की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्हें भोजन–पानी की समस्या का सामना करना पड़ा।

मनरेगा से वहाँ के ग्रामीण व्यक्तियों के जीवन में काफी सुधार आया और आर्थिक स्थिति को भी ऊपर उठाने में काफी मदद मिली। मनरेगा के द्वारा वहाँ पर तालाब र्निमाण कराया गया, जिसके द्वारा सिचाई सुविधा को उपलब्ध कराया गया।

मनरेगा के द्वारा अनंतपुर जिले में सड़कें, पुल, भवन आदि इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया।

सभी राज्यों में भौतिक प्रगति–

- वर्ष 2018–19 में मनरेगा द्वारा रोजगार प्रदान किये गये परिवारों की संख्या 5,26,66,000 रही, जिसमें से अनुसूचित जाति 20.8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 17.4 प्रतिशत, तथा अन्य 61.8 प्रतिशत रही। कुल महिलाओं की भागीदारी 45.4 प्रतिशत एवं कुल पुरूषों की भागीदारी 56.6 प्रतिशत है।
- वर्ष 2019–20 में मनरेगा द्वारा रोजगार प्रदान किये गये परिवारों की संख्या 5,48,25,000 रही, जिसमें से अनुसूचित जाति 20.4 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 18.5 प्रतिशत, तथा अन्य 61.1 प्रतिशत रही। कुल महिलाओं की भागीदारी 54.8 प्रतिशत एवं कुल पुरूषों की भागीदारी 45.2 प्रतिशत है।
- वर्ष 2020–21 में मनरेगा द्वारा रोजगार प्रदान किये गये परिवारों की संख्या 7,55,19,000 रही, जिसमें से अनुसूचित जाति 19.9 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 17.9 प्रतिशत, तथा अन्य 62.2 प्रतिशत रही। कुल महिलाओं की भागीदारी 46.8 प्रतिशत एवं कुल पुरूषों की भागीदारी 53.2 प्रतिशत है।

मनरेगा की सामाजिक पृष्ठभूमि– भारत देश में एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिनमें से बहुत लोग गरीबी रेखा के अन्तर्गत आते है। इन्ही सबको देखते हुए भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लायी गयी, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, गाँव की अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि पर ही आधारित होती है और कृषि ऋतुचक्र पर र्निभर होती है, जिस कारण समय पर वर्षा न होने पर फसल को काफी नुकसान होता है। सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण रोजगार की कमी बनी रहती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूष को तो रोजगार मिल जाता है, किसी तरीके से परन्तु महिला वर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है। देखा जाये तो इनकी संख्या रोजगार के मामले में बिल्कुल न के बराबर है, लेकिन जब से मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश किया है तब से इनकी स्थिति में काफी सुधार देखा गया है। अतः मनरेगा में महिलाओ को बराबर का मजदूरी भुगतान किया जाता है और सभी सुविधाए उपलब्ध करायी जाती है, तॉकि महिला वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त हो सके।

मनरेगा में सभी जाति धर्म कुल को समान दर्जा दिया गया है और समान रोजगार के अवसर को प्रदान किया गया है। अनुसूचि जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को विषेशकर रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते है।

मनरेगा की सामाजिक पृष्ठभूमि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना ही नहीं, अपितु इसे शहर के तरफ पलायनता को रोकना भी है। ग्रामीण व्यक्ति गाँव में ही रह कर गाँव का विकास करे।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

भारत में अंग्रेजी शासन काल से ही यहाँ की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिस कारण जमीदारों और किसानो के बीच बड़ी असमानताए थीं। वर्षा समय पर न होने से किसानो को कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ जाता था। जब अपना भारत अंग्रेजो से आजाद हुआ तब भी देश वासियो को गरीबी और भूखमरी का सामन करना पडा।

देश वासियो के लिए खाद्य सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गयी थी। गाँव में रोजगार की व्यवस्था बहोत ही कम होती है, जिसके कारण व्यक्ति या तो गरीबी का सामना करता रहे या फिर वह गाँव छोड कर शहर की तरफ पलायन करे। इन सभी पहलुओं को दखते हुए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना चलायी जिसका नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना है, इसे ग्रामीणों के हित में ही बनाया गया है और यह योजना सफल भी रही है, जिस उद्देश्य से इसे पारित किया गया था यह उन सभी बिन्दुओं को पूरा करती है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना भारत के ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण और सफल योजना के रूप में सामने आयी है, जो महात्मा गाँधी जी के स्वराज के सपने की एक छलक सी प्रतित होती है।

मनरेगा की आर्थिक पृष्ठभूमि– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत में निवास कर रहे ग्रामीण व्यक्तियों की आर्थिक व सामाजिक जीवन को आगे ले जाना और गाँव का विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराना है, इसके अन्तर्गत ग्रामीणों को गाँव में (5 किलोमीटर के अन्दर) रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कम से कम वर्ष भर में 100 दिन के रोजगार की गारण्टी दी जाती है।

जिन महिलाओं और पुरूषों को रोजगार की आवश्यकता होती है, वह रोजगार के लिए आवेदन कर सकते है और मजदूरी का भुगतान सिधे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। भारत में औद्योगिकीकरण के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति बनी रही, ग्रामीण व्यक्तियों के पास रोजगार के कोई साधन नहीं थे, जिसके कारण उन्हे सभी ओर से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडता था।

इस योजना से लाखो व्यक्तियों (महिला एवं पुरूष) को आर्थिक रूप से रोजगार का अवसर प्रदान किया गया। मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, नहरे, सड़कों, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवनों आदि का र्निमाण और सुन्दरीकरण कराया गया है। मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट मुख्य रूप से अखबार एवं पत्रिकाएं है ।

मनरेगा के द्वारा 2007–08 में 3.39 करोड़ ग्रामीणों घर को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्त मंत्री र्निमला सितारमण ने आवंटन के पहले चरण में बजट को 61,000 करोड़ से बढाकर 40,000 करोड़ कर दिया।

ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने का उद्देश्य 1999 से ही भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का विकास है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबों में भी जो सबसे कमजोर वर्ग है उनपर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 30 प्रतिशत महिला वर्ग, 3 प्रतिशत दिव्यांगजनो को भी शामिल किया गया है।

इस योजना का भार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर वहन करते है, जिसका अनुपात क्रमशः 75:25 है। पहले व्यक्ति द्वारा मजदूरी किये जाने पर उसका भुगतान हाथों–हाथ किया जाता था, परन्तु वर्तमान समय में मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूर के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

ग्रामीणों के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रभाव– देश के समग्र विकास में ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है भारत में ग्रामीण क्षेत्र का विकास देश के विकास रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है।

लगभग 65 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी भारत देश में देखने को मिलती है, ग्रामीणों के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) एक परिवर्तनकारी हथियार के रूप में उभरी है जो भूमि के संरक्षण, जल प्रबंधन, कृषि आपदा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि बुनियादी ढ़ाचे जैसी चुनौतियों के लिए पहले से ही आगाह करा देती है और उसका समाधान भी करने में मदद कर रही है। केन्द्र और राज्य सरकार की देख–रेख में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई नई–नई योजनाएं चलायी गयी हैं। जिसमें से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एक है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) ऑन–फार्म जल प्रबंधन (OFWM), राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन भण्डार (NHRR) परियोजना और जीआईएस तकनीकों का परिचालन मोड में उपयोग किया जाता है[1]–

उच्च–रिजॉल्यूशन वाले उपग्रह चित्र जलीय कृषि तालाबों, पिंजरों और अन्य ढांचों का नक्शा तैयार करते हैं।[2] इसके कारण उचित स्थानों पर आवश्यकतानुसार विकास कार्यक्रम चलायी जाती है।

सेटेलाइट के माध्यम से जमीन पर पानी की मात्रा, क्वालिटी, तापमान बदलाव (उतार–चढ़ाव) जैसे कई कारकों का आसानी से पता लगाया जाता है और गम्भीर से गम्भीर स्थिति को आसानी से सुलझाया जा सकता है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम भारत सरकार द्वारा चलायी गयी एक महत्वपूर्ण योजना है इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सहायोग से पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा रही है।

मनरेगा के द्वारा निर्मित सम्पत्तियाँ प्रमुख है– तालाब, चेकडैम, जल ग्रहण क्षेत्र, सड़के, सिंचाई नहरें, आदि सभी की जानकारी एकत्रित करने में सहकारी और प्रभावशाली अत्याधुनिक उपकरण के रूप में साबित हुई है। इन सभी निर्मित और पुनःनिर्मित संपत्तियों की दृश्यता (मैपिंग) लेने में और इनके लिए उचित निर्णय लेने में जीआईएस सहायक है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) का जीआईएस सोल्यूशन, जिसे जियो मनरेगा भी कहा जाता है यह पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसेट इनफॉर्मेशन सिस्टम की सम्पूर्ण और एक रूपता में दर्शाता है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सम्पत्तियों की फोटोग्राफी जियो टैगिंग किया जाता है।

जीआईएस सक्षम पोर्टल भू–स्थानिक डेटा का रखरखाव, प्रसंस्करण, संग्रहण वितरण करता है।[3] यह योजनाओं को बनाने वाले नीति निर्माताओं और आम जनता को लाभ पहुंचाता है उनके कार्यों में सहायता भी करता है।

हाल ही में भूप्रहरी प्रोजेक्टे के तहत मनरेगा के अन्तर्गत आने वाली निर्मित सम्पत्तियों की मॉनीटरिंग और प्रबंधन के लिए भूमि और अंतरिक्ष आधारित भू–स्थानिक प्रौद्योगिकीय का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आईआईटी, दिल्ली के साथ एक अनुबंध किया है।[4]

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

इस नई पहल से योजना कर्मियों को ग्रामीण विकास योजना को कब, कहाँ, कैसे लागू करना है में काफी मदद मिल रही है और ग्रामीणों को इसका अच्छा लाभ भी मिल रहा है और योजनाबद्ध रूप से योजनाएं चलायी जा रही है और यह ग्रामीण योजनाएं ग्रामीणों के विकास में सफल सिद्ध हो रही है।

ड्रोन के द्वारा निगरानी– वर्तमान में मनरेगा के कार्यों पर ड्रोन द्वारा निगरानी किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों का निरिक्षण कराया जा रहा है, जहाँ पर सड़क नहीं वहां पर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। ड्रोन द्वारा निगरानी करके बंजर भूमि को पुनः संवर्धन, बागवानी कृषि योग्य बनाया जा रहा है।

भारत में ग्रामीण इलाकों का ड्रोन द्वारा निगरानी करके कायाकल्प करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के अलावा ड्रोन की उपयोगिता और भी क्षेत्र में किया जा रहा है, ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत के ग्रामीण भूमि अभिलेखों को 95 प्रतिशत डिजीटलीकरण किया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।

मनरेगा द्वारा किये गये पूर्व कार्य– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर अनेकों विकास कार्य किये गये हैं।

मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढ़ाचें का पुनः निर्माण किया है, जहाँ पर सडक का निर्माण नहीं था, वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया और पुराने व टूटे–फूटे सड़कों का पुनः निर्माण किया गया। जिससे गाँव में रह रहे व्यक्तियों को रोजगार में काफी सहायता मिली और आवागमन का स्रोत उच्चस्तर का हो गया। वर्षा ऋतु के जल को संरक्षित करने के लिये गाँवों में ही तालाबो की खुदाई कराई गयी। तालाबो का निर्माण होने से कृषि कार्य में भी काफी सुधार हुआ और कई जीव–जन्तुओं के लिए एक जल की व्यवस्था भी हो गयी। इससे न केवल मनुष्य को लाभ हुआ है बल्कि पर्यावरण में रह रहे सभी प्राणियों को भी इसका लाभ मिला है।

पर्यावरण को देखते हुए ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतो और ग्रामीणों द्वारा पौधा–रोपड़ किया गया जिससे पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सके और मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सके। मनरेगा के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण और सुन्दरीकरण भी कराया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प अन्तर्गत मनरेगा के मजदूरों द्वारा ग्राम पंचायतों के प्राथमिक विद्यालयों में निम्नलिखित कार्य कराये गये:

- प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत करायी गयी।
- प्राथमिक विद्यालयों की टूटी–फूटी दिवारों, छतों खिड़कियों को ठीक कराया गया।
- प्राथमिक विद्यालयों में शौचायल का निर्माण किया गया।
- प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गयी।
- प्राथमिक विद्यालयों में रंग–रोगन के द्वारा कक्षाओं को आकर्षक रूप दिया गया है।
- प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के खेलने के लिए मैदानों का सृजन किया गया और विद्यालयों में पौधा–रोपड़ भी कराया गया।

इन सभी प्रयासों से बच्चों के शिक्षा में काफी सुधार देखने को मिला और बच्चों को पढ़ने का एक अच्छा माहौल के साथ–साथ उनकी शारिरीक, मानसिक स्थिति को स्वस्थ्य रखा जाता है। ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता को देखते हुए गाँव में ही मनरेगा मजदूर के द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय भी बनवाके दिया गया।

ग्रामीणों को जो आवासीय योजना का लाभ मिलता है उसमें भी मनरेगा के मजदूरों द्वारा श्रम लिया जाता है, जिससे मजदूर व्यक्ति को काम के लिए दूर–दराज जाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हे अपने गाँव में ही काम मिल जाता है, ग्रामीण स्तर पर गौशालाओ का निर्माण सरकार द्वारा एक महत्त्वपूर्ण और भारतीय संस्कृति को बचाये रखने के उद्देश्य से किया गया है। भारत में गाय को लोग माता की दृष्टि से देखते है और मुख्य रूप से यह पर्यावरण को भी संरक्षित करने में काफी अहम भूमिका निभाती है।

गाय का गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में खेतो के लिए काफी फायदेमंद होता है और इसके दूध से भी व्यक्ति को एक प्रकार आर्थिकरूप से मजबूत बनाती है। गौशालाओ के निर्माण से लेकर इनके देख–भाल में मनरेगा के मजदूर को ही रखा जाता है इस प्रकार से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराये जाते है।

निष्कर्ष – इस अध्ययन का उद्देश्य, मनरेगा में मजदूरों की स्थिति, मनरेगा भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीणों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना है।

- मनरेगा ने ग्रामीण भारतीयों के जीवन में एक नई पहल लायी है। हांलाकि इस योजना में अभी भी कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। भविष्य में इस योजना को और अधिक प्रभावि बनाने के लिए कुछ नये एवं ठोस कदम उठाये जा सकते हैं।
- मनरेगा कि भुगतान प्रणाली में और अधिक सुधार करना चाहिए जिससे मजदूरों को निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो सके।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को और भी व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि यह ग्रमीणों के विकास में और अन्य पहलुओं को भी संबोधित कर सके।
- मनरेगा के भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाहि की जानी चाहिए और मनरेगा के गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने की अत्यधिक आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दत्त, विजय रंजन (2010): 'नरेगा से गाँवो ने रोजगार', प्रतियोगिता दर्पण, पृ. 94.
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2012): 'महात्मा गाँधी नरेगा समीक्षा', ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. त्रिपाठी, ब्रदी विशाल (2008): 'ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अब पूरे देश में लागू है', कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, पृ. 35–37.
4. ग्रामीण विकास परियोजनाएं (2013): कुरूक्षेत्र, पृ. 34.

*****